उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

जनवरी 2024

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

Ministry of Education

Government of India

प्राक्कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के लिए एक युगांतकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है और ऐसी समावेशी रीतियों व प्रथाओं पर बल दिया गया है जो विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करें। समावेशी शिक्षा, जैसा कि एनईपी 2020 में उल्लेख किया गया है, में विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा में समावेशित किया गया है तथा एक ऐसे वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है जिससे उनका मान-सम्मान और विविधता को बढ़ावा मिल सके। इस समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों में से एक प्राथमिक लक्ष्य है सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसडीजी) की प्रतिभागिता तथा उनके सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना।

मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों को लागू करने की घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इनसे एसईडीजी समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा से समान अभिगम्यता सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न – एक समावेशी एवं जीवंत शिक्षा भूभाग, जहाँ कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी पीछे न छूट पाए - को साकार करने की दिशा में यह एक अविस्मरणीय कदम है। यूजीसी के दिशानिर्देश समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रति सामूहिक समर्पण को परिलक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आकांक्षी विद्यार्थी को, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समान अवसर प्राप्त हो।

समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करके, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और वह अपनी पृष्ठभूमि अथवा क्षमता के बावजूद, 21वीं शताब्दी में अपेक्षित कौशलों के साथ पूर्ण रूप से समर्थ हो। समावेशी शिक्षा के लिए की गई कई पहलों, जैसे कि ब्रिज कोर्स, शिक्षण के साथ-साथ आय अर्जन स्कीमें, और लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एसईडीजी समूहों के लिए बहुमुखी मार्ग व पाथवेज सृजित करता है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पहुंच प्राप्त हो। यूजीसी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अपने-अपने परिसरों/कैंपस में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि बिना कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के एक सकारात्मक एवं समावेशी वातावरण सृजित किया जा सके।

मैं, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तथा हमारे उच्चतर शिक्षा को सभी के लिए सुगम्य बनाने का आग्रह करता हूँ। एक साथ मिलकर, हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था बना सकते हैं जिससे विद्यार्थियों की प्रतिभाओं का सशक्तिकरण हो सके, उनका जीवन सकारात्मक रूप से बदल सके तथा एक निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय समाज का निर्माण हो सके।

(प्रो. एम. जगदीश कुमार)

19 जनवरी, 2024

आभार

"उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को समान अवसर" के लिए दिशानिर्देश विशेषज्ञ समिति की सहायता से तैयार किए गए हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय विद्यापीठ, पुणे से प्रो. माणिकराव एम. सालुंखे तथा सदस्य के रूप में प्रो. अवत्थी रामैय्या, संकायाध्यक्ष, समान अवसर केंद्र एवं संकाय, बर्हिवेशन और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, डॉ. हिमांगषु दास, निदेशक, राष्ट्रीय दृश्य दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (उत्तराखंड), प्रो. डी. के. वर्मा, निदेशक-अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण और संकायाध्यक्ष, डॉ. अंबेडकर विचार और दर्शन विद्यालय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू (इंदौर), मध्य प्रदेश, प्रो. उन्नत पी. पंडित, बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, प्रो. अनिल प्रभाकर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई, प्रो. जवार सिंह, इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के योगदानों की सराहना करता है और उसके सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

डॉ. जी. एस. चौहान, संयुक्त सचिव, यूजीसी द्वारा समन्वय अधिकारी के रूप में किए गए अथक प्रयासों के लिए आयोग उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। डॉ. नंद किशोर, अवर सचिव और यूजीसी की तकनीकी टीम सहित अन्य अधिकारियों का योगदान प्रशंसनीय रहा है। दिव्यांगता से संबंधित अध्ययनों में कार्यरत विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिक्रिया के लिए यूजीसी उनका अभिनंदन करता है। इसके अलावा, मैं, इन दिशानिर्देशों को मूर्त रूप देने हेतु प्रतिक्रिया एवं मूल्यवान सुझाव देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

मैं, इस दस्तावेज़ को तैयार करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार के दिग्दर्शन, सलाह और निरंतर समर्थन के लिए उनका आभारी हूं। अंत में, मैं यूजीसी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन दिशानिर्देशों को दस्तावेज़ के रूप में तैयार करने में योगदान दिया है।

प्रो. मनिष आर. जोशी

नई दिल्ली,
जनवरी, 2024

विशेषज्ञ समिति

1	प्रो. माणिकराव एम. सालुंखे, पूर्व कुलपति, भारती विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र) 411 030.	अध्यक्ष
2	प्रो. अवत्थी रामैय्या, संकायाध्यक्ष, समान अवसर केंद्र एवं संकाय, बर्हिवेशन और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई-400088.	सदस्य
3	डॉ. हिमांगषु दास, निदेशक, राष्ट्रीय दृश्य दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान देहरादून (उत्तराखंड) 248001.	सदस्य
4	प्रो. डी. के. वर्मा, निदेशक- अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण और संकायाध्यक्ष, डॉ. अंबेडकर विचार और दर्शन विद्यालय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर (महू) - 453 441, इंदौर, मध्य प्रदेश।	सदस्य
5	प्रो. उन्नत पी. पंडित बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067.	सदस्य
6	प्रो. अनिल प्रभाकर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई-600 036.	सदस्य
7	प्रो. जवार सिंह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना-801106.	सदस्य
8	डॉ. जी.एस.चौहान, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 110002.	समन्वय अधिकारी

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

विषय-वस्तु **पृष्ठ सं.**

1.	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी)	4
	1.1 परिचय	
	1.2 उद्देश्य	
2.	उच्चतर शिक्षण संस्थानों को समावेशी, निष्पक्ष और एसईडीजी से सुग्राह्य बनाने के लिए उपाय	7
	2.1 ब्रिज कोर्स	
	2.1.1 ब्रिज कोर्स के उद्देश्य	
	2.1.2 उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम	
	2.2 अधिगम के साथ आय का भी अर्जन	
	2.2.1 अधिगम के साथ आर्य अर्जन योजना के लाभ 2.2.2 अवसर 2.2.3 पारिश्रमिक 2.2.4 उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम	
	2.3 आउटरीच कार्यक्रम - एसईडीजी विशेष शिक्षा क्षेत्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम	
	2.4 उच्चतर शिक्षण संस्थानों के हितधारकों का सुग्राहीकरण	
3.	एसईडीजी प्रकोष्ठ 3.1 उद्देश्य 3.2 कार्य 3.3 शासन प्रणाली	12
4.	सांकेतिक शब्दावली: परिभाषाएँ/मुख्य-शब्द	15

खंड - I

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी)

1.1 परिचय:

दुनियाभर के देशों में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच एक बड़ी चुनौती रही है। भारत में, महिलाएं, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस जैसे कई वंचित समूह हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में दूसरों से पीछे हैं। राष्ट्र के विकास में सबको साथ लेकर चलना भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित छात्रों के मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

एसईडीजी से संबंधित छात्रों को सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एनईपी 2020 में निम्नलिखित अस्मिताओं वाले लोगों को *सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह* (एसईडीजी) के रूप में इंगित किया गया है और उनकी बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया है:

(i) लैंगिक पहचान:

- महिला (लड़कियां और महिलाएं सभी एसईडीजी का लगभग आधा हिस्सा हैं, पर विशेष रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से संबंधित लोगों को कई लाभ नहीं मिलते हैं)
- ट्रांसजेंडर

(ii) सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान:

- अनुसूचित जाति (अ.जा.)
- अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)

(iii) शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन की पहचान:

- अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के बीच नॉन-क्रीमी लेयर
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
- स्थानीय भाषा माध्यम स्कूलों के छात्र
- पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी

(iv) अल्पसंख्यक की पहचान:

- धार्मिक अल्पसंख्यक
- भाषाई अल्पसंख्यक

(v) विकलांग और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति

- दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, या संवेदिक हानि वाला व्यक्ति,

- निर्दिष्ट चालीस प्रतिशत से अधिक का विकलांग व्यक्ति, जिसे सत्यान प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

(vi) कमजोर और निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ:

- प्रवासी समुदाय, गैर-अधिसूचित और घुमंतू जनजातियाँ
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) निम्न आय वाले परिवार
- भिखारी बच्चे और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे
- तस्करी के शिकार हुए या पीड़ित बच्चे
- वे छात्र जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है
- न्यून सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित कोई अन्य समूह

(vii) कम विकसित, कम पहुंच वाले, और वंचित स्थान:

- गाँव और नगर
- जनजातीय क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र, जैसा कि भारत के संविधान के तहत V और VI अनुसूची में उल्लिखित है
- मलिन बस्तियाँ
- विशेष शैक्षिक क्षेत्रों (एसईजेड) के साथ आकांक्षी क्षेत्र
- उत्तर पूर्व राज्य
- द्वीप
- संघर्ष प्रवण क्षेत्र
- आपदा-प्रवण क्षेत्र, जिनमें बाढ़, सूखा, भूकंप आदि शामिल हैं।
- सीमावर्ती क्षेत्र

एनईपी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करना भारत के लिए आवश्यक माना जाता है ताकि वह 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), एसडीजी-5 (लैंगिक समानता), एसडीजी-1 (कोई गरीबी नहीं), और एसडीजी-8 (प्रगतिशील कार्य और आर्थिक विकास) लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता के समक्ष आने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपट सके। इन दिशानिर्देशों का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी समान पहुंच हो, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) तथा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के प्रासंगिक मानदंडों के तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

1.2 उद्देश्य:

क) ब्रिज कोर्स, अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से एसईडीजी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच में सुधार लाना;

ख) परिसरों में समावेशी, स्वस्थ, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के लिए एसईडीजी समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता करना; और

ग) सभी हितधारकों को सुग्राह्य बनाने, नीति कार्यान्वयन, निगरानी, समावेशी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच को समकक्षी बनाना, सम्मानजनक गरिमा सुनिश्चित करना, समतावादी और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिकायत निवारण के उद्देश्य से एसईडीजी प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनईपी 2020 में निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

1. प्रवेश प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाना।
2. पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाना।
3. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए *ब्रिज कोर्स* पाठ्यक्रम।
4. लैंगिक-पहचान के मुद्दे पर संकाय, परामर्शदाताओं और छात्रों का *सुग्राहीकरण* सुनिश्चित करना तथा इसका पाठ्यचर्या सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं में समावेश करना।
5. कोई *भेदभाव* न हो तथा *उत्पीड़न रोधी* सभी नियमों को सख्ती से लागू करना।
6. एक रोडमैप विकसित करना जिसमें उपरोक्त मदों सहित और उनसे परे एसईडीजी की भागीदारी बढ़ाने पर कार्रवाई के लिए विशिष्ट योजनाएं हों।

खंड II

उच्चतर शिक्षण संस्थानों को समावेशी, निष्पक्ष और एसईडीजी से सुग्राह्य बनाने के लिए उपाय

उच्चतर शिक्षण संस्थानों को समावेशी, निष्पक्ष और एसईडीजी से संबंधित छात्रों के प्रति सुग्राह्य बनाने के उपायों के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एक मजबूत ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। एसईडीजी समूहों पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान उचित सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिज कोर्स, अधिगम के साथ-साथ आर्य अर्जन, आउटरीच कार्यक्रम, एसईडीजी विशेष शिक्षा क्षेत्र, और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के हितधारकों का सुग्राहीकरण। इन उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना है, मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एसईडीजी के प्रति अधिक समावेशी, निष्पक्ष और सुग्राह्य बनाने के लिए; उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एसईडीजी प्रकोष्ठों की स्थापना करनी होगी। इनमें से प्रत्येक उपाय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

2.1 ब्रिज कोर्स:

ब्रिज कोर्स विशेष रूप से नव प्रवेश दिए गए छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रवेश हेतु उपयोगी होते हैं। इनका लक्ष्य प्रवेश स्तर पर एसईडीजी समूहों से संबंधित मध्यम और उससे नीचे स्तर के छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे पिछली कक्षा स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों और नए शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश स्तर पर अध्ययन किए जाने वाले विषयों के बीच अंतर को पाटने में सफल हों। यह मूल विषयों में अच्छी पकड़ बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है ताकि उच्चतर कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के बाद जब कक्षाएं शुरु हों, तब उन्हें कोई परेशानी न हो।

ब्रिज कोर्स का उद्देश्य एसईडीजी श्रेणी के छात्रों को, अन्य श्रेणी के छात्रों के बराबर अकादमिक प्रदर्शन करने में मदद करना है। ऐसे पाठ्यक्रम हर वर्ष सेमेस्टर कार्यक्रम शुरु होने से पहले आयोजित किए जाने हैं। ब्रिज कोर्स (भौतिक या ऑनलाइन मोड में) का आशय इन छात्रों को सेमेस्टर के दौरान पढ़ाए गए विषयों पर प्राथमिक और पूरक, दोनों प्रकार का ज्ञान अग्रिम रूप से प्रदान करना है। इस प्रयोजनार्थ, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एसईडीजी समूहों के छात्रों की पहचान करनी होगी, जिन्हें ब्रिज कोर्स से गुजरना आवश्यक है, और जहां भी संभव हो, ब्रिज कोर्स स्थानीय भाषाओं में प्रदान किए जा सकते हैं। ब्रिज कोर्स को एसईडीजी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए, और पाठ्य-वस्तु/कन्टेंट वितरित करने के लिए एक अलग समय-सारणी तैयार की जानी चाहिए।

2.1.1 ब्रिज कोर्स के उद्देश्य:

1. छात्रों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में चुनौतियों पर काबू पाने में सुविधा प्रदान करना।
2. छात्रों को इष्टतम स्तर पर प्रदर्शन करने हेतु भिन्न अधिगम क्षमताओं के साथ और बहुविध चुनौतियों से निपटने में सहायता करना।
3. नए छात्रों के लिए एक बफर के रूप में कार्य करना।
4. एसईडीजी छात्रों को सहज संक्रमण (Smooth transition) के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना।
5. मुख्य पाठ्यक्रमों पर ज्ञान प्रदान करना और छात्रों को आगामी सत्रों/सेमेस्टरों में शुरु होने वाले चिन्हित पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करना।
6. छात्रों को अधिकाधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास से समर्थ बनाना।

2.1.2 उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उपाय:

उच्चतर शिक्षण संस्थान प्रासंगिक ब्रिज कोर्स शुरु करने के लिए कुछ कार्रवाई योग्य कदम उठाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का उपयोग ब्रिज कोर्स के उद्देश्यों को साकार करने के लिए किया जाएगा। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. अधिगम में कठिनाई और चुनौतियों के साथ छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स सभी पाठ्यक्रमों के सभी सेमेस्टरों हेतु और एसईडीजी द्वारा आवश्यक अवधि के लिए संचालित किए जा सकते हैं। ये कक्षाएं छात्रों को विषयों में अपेक्षित दक्षता हासिल करने में सहायता के लिए संचालित की जाती हैं। ब्रिज कोर्स स्वयम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लिया/किया जा सकता है।

2. नए छात्रों को सुचारु रूप से उच्चतर शिक्षण में परिवर्तित होने में सक्षम बनाने के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में गणित, कंप्यूटर, संचार कौशल, लेखांकन आदि शामिल हो सकते हैं, जो किसी छात्र के पिछले पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

2.1.3 रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक क्षेत्र:

क) राष्ट्रीय विकास संबंधी चिंताएं, विकास के दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं।

ख) समुदाय, कामकाजी दुनिया और वैश्विक समाज से जुड़ना।

ग) स्व-सशक्तीकरण, प्रेरणा, टीम वर्क और नेतृत्व विकास।

घ) सक्षमता एवं आत्मविश्वास के साथ रचनात्मक एवं सृजनात्मक तरीके से प्रभावी शिक्षण प्राप्त करना; प्रभावी संचार के साथ जीवन कौशल, निर्णय लेना, समस्या-समाधान, डिजाइन थिंकिंग, रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक और वैज्ञानिक सोच, अंतर्वैयक्तिक कौशल, स्व-जागरूकता, सहानुभूति, समभाव, तनाव से निपटना, और उदारता।

ड.) उभरते भविष्य के लिए अवसर और चुनौतियाँ।

च) ई-लर्निंग संसाधन और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का अनुप्रयोग, और जिम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग।

2.2 अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन

अर्न व्हाइल लर्न अर्थात अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन (ई डब्ल्यू एल) योजना एसईडीजी समूह के छात्रों को आय अर्जित करने और अपनी शिक्षा को सपोर्ट करने में तथा कौशल और क्षमताएं हासिल करने में सहायता प्रदान करती है जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। यह अधिगम में आर्थिक कठिनाइयों को कम करने और शिक्षार्थी की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है; ये दोनों शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और इसे एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास बनाएंगे। यह छात्रों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने, तकनीकी कौशल हासिल करने और अपनी उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें व्यावसायिक कार्य अपेक्षाकृत तेजी से करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को अंशकालिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसे रोजगार अवसरों की सांकेतिक सूची में अनुसंधान परियोजनाएं, सहायक कर्मी (असिस्टेंटशिप), पुस्तकालय कार्य, कंप्यूटर सेवाएं, डेटा प्रविष्टि, प्रयोगशाला सहायता, आदि शामिल हैं।

अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन वाले किसी भी कार्यक्रम की प्रभावशीलता उसके चार मूलभूत

स्तंभों के अनुपालन पर निर्भर करती है: शैक्षणिक गंभीरता, संबद्ध कार्य अनुभव, छात्र को वित्तीय सहायता, और कार्यक्रमों में हितधारकों का निवेश। ये स्तंभ जवाबदेही सुनिश्चित करने, छात्रों को करियर अन्वेषण और व्यावसायिक विकास का अवसर देने एवं क्रिडेंशियल प्रदान करने की प्रतिबद्धता के आधार पर स्थापित किए गए हैं।

2.2.1 अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन योजना के लाभ:

कुछ लाभ जो छात्र अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन योजना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. यह रोजगारपरक कौशलों को बढ़ाती है और करियर की तैयारी में सहायता प्रदान करती है।
2. *अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन योजना* पहल से ड्रॉपआउट यानी पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की दर को कम करने में मदद मिलेगी।
3. योजना के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
4. इस पहल का छात्र के करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक ओर, छात्र कुछ अतिरिक्त पैसा कमाएंगे, वहीं दूसरी ओर, उन्हें पढ़ाई के दौरान कार्य अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
5. अधिगम के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त करना और व्यावहारिक अभ्यास करना।
6. यह सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को शिक्षा के साधन प्रदान करेगी।
7. यह छात्रों को उनके कार्य अनुभव और नौकरी हेतु कौशल हासिल करके अधिक साधन-संपन्न बनाएगी।
8. यह भविष्य में बेहतर नौकरियां प्राप्त करने और रोजगारपरक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करेगी।
9. इससे छात्रों के लिए नेटवर्किंग की संभावनाएं बढ़ेंगी।
10. यह छात्रों को अपेक्षित योग्यता और अभिवृत्ति/मानसिकता आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी।
11. यह छात्रों के बायोडाटा की महत्ता को बढ़ाएगी।

2.2.2 अवसर:

उच्चतर शिक्षण संस्थान छात्रों को अपने किसी भी विभाग में विभिन्न अंशकालिक रोजगार अवसर प्रदान कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को ऐसे अवसरों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि योग्य छात्र इन अवसरों का लाभ उठा सकें।

2.2.3 पारिश्रमिक:

प्रत्येक छात्र के लिए पारिश्रमिक की दर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अंशकालिक सेवा के लिए प्रति घंटे के आधार पर एक समेकित राशि होगी। योग्य छात्रों को प्रति सप्ताह अधिकतम 20 घंटे, प्रति माह 20 दिन तक कार्य करने को कहा जा सकता है। भुगतान वास्तविक आधार पर किया जा सकता है। छात्रों की सेवाओं के लिए योजना इस तरह बनाई जाए कि इसका असर उनकी कक्षाओं पर न पड़े।

2.2.4 उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

क. उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों को अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने हेतु लचीलापन व उदारता सुनिश्चित करनी होगी।

ख. परिसर में उन कार्यों की पहचान करना जिन्हें छात्रों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और क्षेत्रीय भाषाओं में अंशकालिक मोड में निष्पादित किया जा सकता है।

ग. "अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन" अवसरों का व्यापक रूप से प्रचार करना।

घ. एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाना। जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिकता देना।

ड. संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण या परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी एजेंसियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए।

च. योजना में मूल्यांकन और प्रत्यायान के मानदंड को शामिल करके उसे आवश्यक महत्व प्रदान करना।

छ. "अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन" कर रहे छात्रों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

2.3 आउटरीच कार्यक्रम - एसईडीजी विशेष शिक्षा क्षेत्र:

एक आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उनका उत्थान करना और सहायता करना है। इसके अंतर्गत उनके सशक्तिकरण के लिए अधिगम, सामाजिक नियोजन, स्वास्थ्य सहायता, और अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं।

एसईडीजी के छात्रों को उच्चतर शिक्षा में सफलतापूर्वक संक्रमण व परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन की आवश्यकता होती है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे छात्रों को भाषा अनुवाद, रिकॉर्डिंग सेवाएँ और सहायक तकनीक जैसी सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करें। इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों को संसाधन जुटाने की जरूरत है। सभी छात्रों को व्यावसायिक, शैक्षणिक और करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जानी है; और काउंस्लरों को छात्रों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं का सम्मान करना होगा।

2.3.1 उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- संस्थानों को आउटरीच कार्यक्रम के लिए छात्रों के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना होगा।
- आउटरीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से संबंधित दिशानिर्देश और सिद्धांत तैयार किए जाने चाहिए।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एमबेडेड आउटरीच कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या डिजाइन करनी होगी।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस प्रकार के आउटरीच कार्यक्रम संचालित करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी एजेंसियों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- आउट-रीच कार्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा वार्षिक बजटीय आवंटन किया जा सकता है।

2.4 एसईडीजी से संबंधित चुनौतियों पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों का सुग्राहीकरण:

उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षकों, प्रशासकों, पदाधिकारियों और छात्रों के लिए उचित सुग्राहीकरण कार्यक्रम शुरु और नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि प्रशासक एवं

पदाधिकारी आरक्षण नीति आदि जैसी समावेशी नीतियों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने में छात्र के प्रति अधिक सतर्क हों। एसईडीजी छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षण संस्थानों के जुड़ाव के सभी स्तरों पर समावेशन और समानता के सिद्धांतों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, और एसईडीजी समूह के छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से उनके प्रतिष्ठा, आत्म-सम्मान और साख के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने की आवश्यकता है।

खंड III

एसईडीजी प्रकोष्ठ

एसईडीजी छात्रों के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को एसईडीजी प्रकोष्ठ स्थापित करने होंगे। एसईडीजी प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अन्य प्रकोष्ठ के कामकाज और अनिवार्य गतिविधियों में किसी भी बाधा या हस्तक्षेप के बिना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा।

प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान के भीतर एसईडीजी प्रकोष्ठ एसईडीजी से संबंधित सभी व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों, गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और उन्हें मौजूदा वैधानिक निकायों की मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करेगा। एससी/एसटी प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ आदि।

3.1 एसईडीजी प्रकोष्ठ के उद्देश्य:

1. एसईडीजी छात्रों के सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि उच्चतर शिक्षण संस्थान एसईडीजी छात्रों के लिए समावेशी, सुरक्षित और संरक्षित हैं।
3. उचित काउंसलिंग और निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से एसईडीजी से संबंधित छात्रों के लिए सामाजिक-भावनात्मक और शैक्षणिक सहायता और सलाह प्रदान करना।
4. एसईडीजी के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा डिजाइन किए गए ओरिएंटेशन और ब्रिज कोर्स का उचित कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना।
5. शैक्षणिक गतिविधियों में एसईडीजी के छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ऐसे सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
6. एसईडीजी छात्रों के लिए आरक्षण नीतियों और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रम, सुविधाओं और दिशानिर्देशों सहित सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
7. यह सुनिश्चित करना कि उच्चतर शिक्षण संस्थान एसईडीजी के छात्रों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए उचित आउटरीच कार्यक्रम विकसित करें।
8. भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ रोकथाम उपायों और कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और एसईडीजी के तहत संबंधित श्रेणियों से संबंधित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
9. एसईडीजी के संदर्भ में समय-समय पर जारी किए गए सभी यूजीसी और सरकारी दिशानिर्देशों और अनुदेशों के कार्यान्वयन को परिचालित, प्रचारित करना, सुविधाजनक बनाना और निगरानी करना।
10. शिकायतकर्ता की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा से समझौता किए बिना शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) के माध्यम से 15 दिनों के भीतर एसईडीजी छात्रों की शिकायतों का निवारण करना।

3.2 एसईडीजी प्रकोष्ठ के कार्य:

1. उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अन्य मौजूदा प्रकोष्ठों और सांविधिक निकायों के साथ समन्वय करना और भारत सरकार और संबंधित राज्यों छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति सहित मौजूदा योजनाओं और उनके प्रावधानों का कार्यान्वयन करना।

2. एसईडीजी के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ओरिएंटेशन और ब्रिज कोर्स, अधिगम के साथ-साथ आय अर्जन योजनाओं और आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

3. उचित काउंसलिंग और पर्यवेक्षी (मेन्टरिंग) कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे छात्रों को सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सहायता करना और सलाह प्रदान करना।

4. एसईडीजी मुद्दों पर संकाय, कर्मचारियों, काउंस्लरों और छात्रों को सुग्राह्य बनाना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं में उनका समावेश सुनिश्चित करना।

5. उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए अवसर लागतों और शुल्कों को कम करने हेतु एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और पूर्व छात्रों जैसे विभिन्न स्रोतों से निधियां जुटाना और संग्रह करना।

6. समावेशी और समान गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के साथ समन्वय करना।

7. एसईडीजी से संबंधित छात्रों की शिकायतों, बुनियादी जरूरतों, सुविधाओं, व्यवस्थाओं, कल्याणकारी उपायों, और छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति के लिए 'सिंगल विंडो' के रूप में कार्य करना।

8. उच्चतर शिक्षण संस्थानों के पोर्टल पर दिशानिर्देशों, सुविधाओं, कल्याणकारी और सुरक्षा उपायों को अपलोड और प्रसारित करना और एसईडीजी के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा और निगरानी करने के लिए रिकॉर्ड कायम रखना।

9. मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि - उपचारात्मक, नेट, सेवाओं में प्रवेश, और एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यक समुदाय एवं पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग को प्रसारित, प्रचारित और सुविधाजनक बनाना।

10. एसईडीजी समूह के छात्रों को भावनात्मक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए काउंस्लरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संकाय सदस्यों की एक टीम स्थापित करना ताकि ये छात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों के वातावरण से सामांजस्य स्थापित कर सकें।

11. व्यावसायिक और सॉफ्ट स्किल्स सहित समग्र व्यक्तित्व और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि छात्र की रोजगारपरक क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

12. समय-समय पर बैठकें आयोजित करना और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान एसईडीजी के लिए उक्त योजनाओं का एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं।

13. एसईडीजी की जरूरतों का आकलन करना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को आवश्यक सिफारिशें करना।

14. संकाय, कर्मचारियों, छात्रों और सेवा व्यावसायिकों को एसईडीजी के लिए उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराना।

15. उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पाठ्यचर्या, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में एसईडीजी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एसईडीजी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सभी छात्रों को सुग्राह्य बनाना।

16. एसईडीजी छात्रों की शिकायतों की जांच करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करना और एसईडीजी छात्रों की शिकायतों पर चर्चा में सुविधा प्रदान करने तथा डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन/अधिकारियों के साथ बैठक करना।

17. 15 दिनों के भीतर सभी शिकायतों की समीक्षा, निगरानी और निपटान सुनिश्चित करना।

18. किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए शून्य-सहिष्णुता नीति के बारे में प्रेरण/काउंसलिंग सत्र के दौरान सभी छात्रों को सूचित करना।

3.3 एसईडीजी प्रकोष्ठ का प्रशासन:

1	अध्यक्ष. एसईडीजी प्रकोष्ठ	
2	वरिष्ठ प्रोफेसर	सदस्य
3	आंतरिक शिकायत समिति का प्रभारी	सदस्य
4	आईक्यूएसी का समन्वयक/निदेशक	सदस्य
5	एससी/एसटी प्रतिनिधि	सदस्य
6	ओबीसी प्रतिनिधि	सदस्य
7	एसईडीजी से संबंधित दो छात्र प्रतिनिधि	सदस्य (एक पुरुष और एक महिला सदस्य)
8	सहायक कुलसचिव/प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य सचिव

* अध्यक्ष और सदस्यों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा

सांकेतिक शब्दावली

परिभाषाएँ/मुख्य-शब्द

इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित परिभाषाएँ वे हैं जो संबद्ध राजपत्र अधिसूचनाओं, भारत सरकार की एनईपी 2020, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों में परिलक्षित होते हैं, जब तक कि संदर्भ अन्यथा निम्नलिखित की अपेक्षा नहीं करता है:

1. **सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह** (एसईडीजी) वे हैं, जिनके पास ऐतिहासिक कारणों और अपनी मौजूदा वंचित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं स्थानीय स्थितियों के कारण उच्चतर शिक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच नहीं है।

2. **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई ब्ल्यू एस)"** श्रेणी का अर्थ है समाज के वे वर्ग जो एससी/ एसटी/ ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनकी सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय (मौजूदा मानदंडों के अनुसार) प्रवेश/ भर्ती के लिए आवेदन करने के पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर 8 लाख रुपये से कम है।

3. "**अन्य पिछड़ा वर्ग"** श्रेणी का अर्थ है नागरिकों के वे वर्ग या श्रेणियां जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और ओबीसी की संबंधित सूची में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित और सूचीबद्ध हैं।

4. मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, ओबीसी छात्र की क्रीमी लेयर की स्थिति उनके माता-पिता की आय स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसलिए, एसईडीजी के तहत, पात्र ओबीसी छात्र "नॉन-क्रीमी लेयर" में हैं, जिसका अर्थ है कि ओबीसी छात्र के माता-पिता की आय पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम रही है। (संदर्भ डीओपीटी का.ज्ञा. सं. 36033/1.2013-2013-स्था. (आर.) दिनांक 13 सितंबर 2017 (जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है)।

5. **"विकलांगताओं के साथ व्यक्ति"** का अर्थ एक दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, या इंद्रियीय ह्रास वाला व्यक्ति है, जिसकी जिव्हा बोलने में अटकती है, किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और पर्याप्त भागीदारी में बाधा डालती है, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है।

6. **"बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति"** का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक निर्दिष्ट विकलांगता के साथ चालीस प्रतिशत से कम विकलांग नहीं है, जहाँ किसी निर्दिष्ट विकलांगता को माप-निर्धारणीय मानदंडों मकें परिभाषित नहीं किया गया है और उसमें ऐसे विकलांग व्यक्ति शामिल हैं जहाँ किसी निर्दिष्ट विकलांगता को माप-निर्धारणीय मानदंडों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

7. **"अनुसूचित जातियाँ"** का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियाँ।

8. **"अनुसूचित जनजातियाँ"** का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ।

9. **"एसईडीजी बजट"** का अर्थ है एसईडीजी से संबंधित छात्रों के कल्याण और लाभार्थ उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों/ सीएसआर/ स्वैच्छिक/ दानों से सृजित किया गया अलग बजट।